संख्या-177/2017/3162/26-3-2017-10(12)/2015

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 नवम्बर , 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, सातोमहुआ, वाराणसी में कक्षा-1 से 8 के लिये विद्यालय भवन, छात्रावास भवन, आवासीय कर्मचारियों हेतु आवास एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-145/2015/2779/26-3-2015-10(12)/ 2015, दिनांक-10.12.2015 के क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1010-11/ स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ(96)ए0टी0एस0-सातोमहुआ वाराणसी/2017-18, दिनांक-14.11.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, सातोमहुआ, वाराणसी में कक्षा-1 से 8 के लिये विद्यालय भवन, छात्रावास भवन, आवासीय कर्मचारियों हेतु आवास एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रूपया-769.32 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि **रूपया-6000.00 लाख (रूपये साठ करोड़ मात्र)** के सापेक्ष प्रश्नगत विद्यालय के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में आंकलित लागत का 40 प्रतिशत **रूपया-307.72 लाख (रूपये तीन करोड़ सात लाख बहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(i) यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात की कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आपकी होगी।

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(iii) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(iv) आप यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तवित कार्यों का द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(v) आप द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(vi) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि मंे नहीं रखा जायेगा।

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेक्स चार्ज लिया जायेगा।

(viii) आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ix) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0(अनुबंध)करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके।

(x) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा एवं प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों काआवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पंूजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस- 2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

फुसं0- 177/2017/3162(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 जिलाधिकारी, वाराणसी।
6 जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी ।
7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8 प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9 निदेशक, एन0आई0सी0।
10 गार्डफाइल

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in